

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद- खगड़िया, बरबीघा, भभुआ एवं महनार।  
कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत- मखदुमपुर, दिघवारा, रफीगंज एवं इसलामपुर।

पटना, दिनांक-०९/०१/१९

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु Outfall नाला निर्माण की कुल ₹1266.75100 लाख (बारह करोड़ छियासठ लाख पचहत्तर हजार एक सौ रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹580.10800 लाख (पाँच करोड़ अस्सी लाख दस हजार आठ सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के नगर निकायों में गली-नालियों के पक्कीकरण तथा जल निकासी की समस्या के समाधान हेतु “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत शहरी स्थानीय निकायों में हर घर तक गलियों के साथ कच्ची नालियों का पक्कीकरण कराया जा रहा है। परन्तु इस योजना के तहत बड़े Outfall नालों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसलिए शहरों के बड़े Outfall Drain एवं Storm Water Drainage योजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। Storm Water Drainage का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है तथा Outfall Drain का प्रस्ताव सभी नगर निकायों से मांगा गया है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित Outfall नाला निर्माण की योजनाओं का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹1266.75100 लाख (बारह करोड़ छियासठ लाख पचहत्तर हजार एक सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल विभागीय राज्यादेश सं०-109 दिनांक-०९/०१/१९ के आलोक में कुल ₹580.10800 लाख (पाँच करोड़ अस्सी लाख दस हजार आठ सौ रु०) मात्र निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद, खगड़िया	वार्ड नं०- 01 अंतर्गत पंचमुखी महावीर स्थान से स्टेशन के मुख्य द्वार, जनता महावीर स्थान से बखरी बस स्टैंड तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	213.07000	53.26750	159.80250

2	नगर परिषद्, बरबीघा	वार्ड सं०- 17 में टी०भी०एस० शोरूम से अशोक सिंह के घर होते हुए रामविलास सिंह के घर तक तेउसाईन पैन में आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	171.06000	85.53000	85.53000
3	नगर परिषद्, भभुआ	वार्ड सं०- 02 में कब्रिस्तान से नहर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	123.17000	61.58500	61.58500
4	नगर परिषद्, महनार	वार्ड नं०- 29 में बिन्दा चौधरी के मिल से रामवृक्ष साह के घर तक नाला निर्माण कार्य।	77.31900	38.65950	38.65950
<b>योग (क)</b>			<b>584.61900</b>	<b>239.04200</b>	<b>345.57700</b>
5	नगर पंचायत, मखदुमपुर	वार्ड सं०- 07 एन०एच० 83 मखदुमपुर भारतीय स्टेट बैंक के आगे से टेलीफोन एक्चेंज के आगे तक आर०सी०सी० ढक्कण नाला निर्माण कार्य।	161.99300	80.99650	80.99650
6	नगर पंचायत, दिघवारा	एकलव्य स्कूल से झझीया डगर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	285.95700	142.97850	142.97850
7	नगर पंचायत, रफीगंज	वार्ड सं०- 16 में राजाबीघा पुल से बस स्टैण्ड तक नाला एवं ढक्कन निर्माण कार्य।	169.93900	84.96950	84.96950
8	नगर पंचायत, इसलामपुर	वार्ड नं०- 01 अंतर्गत जहानाबाद मुख्य पथ में बिनोद पंडित के घर से पर्इन तक ढक्कन सहित आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	64.24300	32.12150	32.12150
<b>योग (ख)</b>			<b>682.13200</b>	<b>341.06600</b>	<b>341.06600</b>
<b>योग (क+ख)</b>			<b>1266.75100</b>	<b>580.10800</b>	<b>686.64300</b>

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹580.10800 लाख (पाँच करोड़ अस्सी लाख दस हजार आठ सौ रु०) मात्र।

4. आवंटित कुल ₹580.10800 लाख (पाँच करोड़ अस्सी लाख दस हजार आठ सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगड़िया, बरबीघा, भभुआ एवं महनार तथा नगर पंचायत, मखदुमपुर, दीघवारा, रफीगंज एवं इसलामपुर होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. उक्त आवंटित राशि ₹580.10800 लाख (पाँच करोड़ अस्सी लाख दस हजार आठ सौ रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) आवंटित राशि ₹580.10800 लाख (पाँच करोड़ अस्सी लाख दस हजार आठ सौ रु०) मात्र में से संलग्न तालिका के क्रमांक- 1 से 4 पर अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹239.04200 लाख (दो करोड़ उनचालीस लाख चार हजार दो सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217031920105**, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) आवंटित राशि ₹580.10800 लाख (पाँच करोड़ अस्सी लाख दस हजार आठ सौ रु०) मात्र में से संलग्न तालिका के क्रमांक- 5 से 8 पर अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹341.06600 लाख (तीन करोड़ एकतालीस लाख छः हजार छः सौ रु०) मात्र निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल-जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2215021930102**, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. राज्य योजना मद अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

(i) योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।



(vi) यदि Outfall नाला निर्माण की योजना एन०एच० अथवा बाईपास के बगल में ली गयी है अथवा नालों का Outfall Point नहर/पर्ईन है तो ऐसी स्थिति में नगर निकायों द्वारा योजना के कार्यान्वयन से पूर्व संबंधित विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त किया जायेगा।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*09.01.19*

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क०-09-04/2018 64 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 09/01/19

**प्रतिलिपि:**— संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडको/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*09.01.19*

सरकार के विशेष सचिव।

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

**\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित**

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- ०९/०१/१९

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु Outfall नाला निर्माण की कुल ₹1266.75100 लाख (बारह करोड़ छियासठ लाख पचहत्तर हजार एक सौ रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹580.10800 लाख (पाँच करोड़ अस्सी लाख दस हजार आठ सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

**आदेश:-** स्वीकृत।

राज्य के नगर निकायों में गली-नालियों के पक्कीकरण तथा जल निकासी की समस्या के समाधान हेतु “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत शहरी स्थानीय निकायों में हर घर तक गलियों के साथ कच्ची नालियों का पक्कीकरण कराया जा रहा है। परन्तु इस योजना के तहत बड़े Outfall नालों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसलिए शहरों के बड़े Outfall Drain एवं Storm Water Drainage योजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। Storm Water Drainage का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है तथा Outfall Drain का प्रस्ताव सभी नगर निकायों से मांगा गया है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित Outfall नाला निर्माण की योजनाओं का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹1266.75100 लाख (बारह करोड़ छियासठ लाख पचहत्तर हजार एक सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल कुल ₹580.10800 लाख (पाँच करोड़ अस्सी लाख दस हजार आठ सौ रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद्, खगड़िया	वार्ड नं०- 01 अंतर्गत पंचमुखी महावीर स्थान से स्टेशन के मुख्य द्वार, जनता महावीर स्थान से बखरी बस स्टैंड तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	213.07000	53.26750	159.80250

4

2	नगर परिषद्, बरबीघा	वार्ड सं०- 17 में टी०भी०एस० शोरूम से अशोक सिंह के घर होते हुए रामविलास सिंह के घर तक तेउसाईन पैन में आर०सी०सी० नाला का निर्माण कार्य।	171.06000	85.53000	85.53000
3	नगर परिषद्, भभुआ	वार्ड सं०- 02 में कब्रिस्तान से नहर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	123.17000	61.58500	61.58500
4	नगर परिषद्, महनार	वार्ड नं०- 29 में बिन्दा चौधरी के मिल से रामवृक्ष साह के घर तक नाला निर्माण कार्य।	77.31900	38.65950	38.65950
<b>योग (क)</b>			<b>584.61900</b>	<b>239.04200</b>	<b>345.57700</b>
5	नगर पंचायत, मखदुमपुर	वार्ड सं०- 07 एन०एच० 83 मखदुमपुर भारतीय स्टेट बैंक के आगे से टेलीफोन एक्चेंज के आगे तक आर०सी०सी० ढक्कण नाला निर्माण कार्य।	161.99300	80.99650	80.99650
6	नगर पंचायत, दीघवारा	एकलव्य स्कूल से झंझीया डगर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	285.95700	142.97850	142.97850
7	नगर पंचायत, रफीगंज	वार्ड सं०- 16 में राजाबीघा पुल से बस स्टैण्ड तक नाला एवं ढक्कन निर्माण कार्य।	169.93900	84.96950	84.96950
8	नगर पंचायत, इसलामपुर	वार्ड नं०- 01 अंतर्गत जहानाबाद मुख्य पथ में बिनोद पंडित के घर से पईन तक ढक्कन सहित आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	64.24300	32.12150	32.12150
<b>योग (ख)</b>			<b>682.13200</b>	<b>341.06600</b>	<b>341.06600</b>
<b>योग (क+ख)</b>			<b>1266.75100</b>	<b>580.10800</b>	<b>686.64300</b>

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹580.10800 लाख (पाँच करोड़ अस्सी लाख दस हजार आठ सौ रु०) मात्र।

*इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।*

4. स्वीकृत कुल ₹580.10800 लाख (पाँच करोड़ अस्सी लाख दस हजार आठ सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगड़िया, बरबीघा, भभुआ एवं महनार तथा नगर पंचायत, मखदुमपुर, दीघवारा, रफीगंज एवं इसलामपुर होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

✓

7. उक्त स्वीकृत राशि ₹580.10800 लाख (पाँच करोड़ अस्सी लाख दस हजार आठ सौ रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) स्वीकृत राशि ₹580.10800 लाख (पाँच करोड़ अस्सी लाख दस हजार आठ सौ रु०) मात्र में से संलग्न तालिका के क्रमांक- 1 से 4 पर अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹239.04200 लाख (दो करोड़ उनचालीस लाख चार हजार दो सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) स्वीकृत राशि ₹580.10800 लाख (पाँच करोड़ अस्सी लाख दस हजार आठ सौ रु०) मात्र में से संलग्न तालिका के क्रमांक- 5 से 8 पर अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹341.06600 लाख (तीन करोड़ एकतालीस लाख छः हजार छः सौ रु०) मात्र निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल-जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 193-नगर पंचायतो/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215021930102, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. राज्य योजना मद अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) **योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जाएगा।**

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

(vi) यदि Outfall नाला निर्माण की योजना एन०एच० अथवा बाईपास के बगल में ली गयी है अथवा नालों का Outfall Point नहर/पईन है तो ऐसी स्थिति में नगर निकायों द्वारा योजना के कार्यान्वयन से पूर्व संबंधित विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त किया जायेगा।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/सड़क०-09-04/2018 के पृष्ठ सं०-.....५३...../टि० पर दिनांक-०८-०१-२०१९ को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....५३...../टि० पर दिनांक-०८-०१-२०१९ को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगड़िया, बरबीघा, भभुआ एवं महनार तथा नगर पंचायत, मखदुमपुर, दीघवारा, रफीगंज एवं इसलामपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क०-09-04/2018 109 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-09/01/19

**प्रतिलिपि:-** संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगड़िया, बरबीघा, भभुआ एवं महनार तथा नगर पंचायत, मखदुमपुर, दीघवारा, रफीगंज एवं इसलामपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडको/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

20